



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



18 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 253 राँची, बुधवार,

8 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

20 फरवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-14/2017-21122 (HRMS)--श्री बुडौंय सारू, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-453/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बन्दगाँव, पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पत्रांक-25, दिनांक-10.01.2017 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध मनरेगा योजना अन्तर्गत डोभा निर्माण, मानव दिवस सृजन के साथ-साथ विभिन्न Module में दयनीय प्रगति, बैठकों एवं कार्यशाला में अनुपस्थित रहने, मनरेगा मजदूरों के बैंक खाता में गलत खाता संख्या एवं आधार की प्रविष्टि करने, वित्तीय वर्ष 2013-14 के इंदिरा आवास योजना में द्वितीय एवं तृतीय किस्त विमुक्ति हेतु गलत फोटोग्राफ उपलब्ध करने, 378 इंदिरा आवास योजनाएँ काफी समय से लंबित रखने, प्रधानमंत्री आवास योजना में रुची नहीं लेने, Geo-Tagging अद्यतन शून्य रखने, भीम राव अम्बेडकर आवास योजना की धीमी प्रगति, योजना बनाओ अभियान तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) योजना, कृषि गणना, HRMS एवं NPR Digitization के कार्यों में निराशाजनक प्रगति तथा कार्यों में रुचि नहीं लेने संबंधी आरोप प्रतिवेदित हैं।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1791, दिनांक 28.02.2017 द्वारा श्री सारू से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री सारू के पत्र, दिनांक 20.03.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) उनके द्वारा प्रश्नगत सभी योजनाओं को पूर्ण करने हेतु लगातार साप्ताहिक बैठक में समीक्षा की गयी है। उप विकास आयुक्त के द्वारा भी इस संबंध में लगातार निदेश दिया गया परन्तु प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, इंदिरा आवास प्रभारियों के साथ-साथ कुछ क्षेत्रीय कर्मियों के प्रखण्ड मुख्यालय एवं क्षेत्र में नहीं रहने तथा कार्य में रुचि नहीं लिये जाने के कारण प्रश्नगत योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। उनके द्वारा तीन पंचायत सचिवों के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ का गठन एवं एक जन सेवक को निलंबन करने का प्रस्ताव भी उप विकास आयुक्त को भेजा गया था, परन्तु उनके विरुद्ध उस समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी मजदूरों को बचत बैंक खाता तथा आधार संख्या का MIS में फ्रिजिंग प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा किया जाता था, अतः इसके लिए वही जिम्मेवार थे।

क्षेत्र में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जनता द्वारा योजना बनाओं अभियान के तहत ग्राम सभाओं से पारित योजनाओं को संचालित की जाने की माँग की जा रही थी। लोग डोभा निर्माण हेतु इच्छुक नहीं थे। दिनांक 11.12.2016 को उप विकास आयुक्त द्वारा प्रखण्ड मुख्यालय पंचायती राज प्रतिनिधियों, ग्रामीणों, मनरेगा मेंटों, स्वयं सहायता समूहों एवं प्रखण्ड कर्मियों के साथ बैठक आहुत की गयी थी। उक्त बैठक में पंचायती राज प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के द्वारा उप विकास आयुक्त के समक्ष डोभा निर्माण के विरुद्ध नारेबाजी एवं बैठक का बहिष्कार कर विरोध प्रकट किया गया था। दिनांक-12.12.2016 स्थानीय अखबारों में इस संबंध में खबर भी प्रकाशित हुई थी।

(ii) उपायुक्त के द्वारा प्रखण्ड के सभी रोजगार सेवकों का अन्य प्रखण्डों में स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके द्वारा स्थानान्तरित रोजगार सेवकों विलम्ब से टैब उपलब्ध कराने के कारण भी मनरेगा अन्तर्गत Online Demand, Photo uploading, Geo Tagging में विलम्ब हुई है। इस संबंध में उनके द्वारा उप विकास आयुक्त को भी सूचित किया गया था।

(iii) प्रखण्ड कार्यालय में अनुपस्थित रहने के संबंध में प्रतिवेदित है कि ग्राम सभा की आवश्यक तैयारी करने हेतु वे गाँव गये हुए थे और प्रखण्ड आगमण की सूचना उप विकास आयुक्त के द्वारा उन्हें दूरभाष पर नहीं दी गयी थी। फलस्वरूप वे कार्यालय में नहीं थे। इसी तरह नक्सली बन्दी के कारण वे सुरक्षात्मक दृष्टि से बैठक में शामिल नहीं होने के संबंध में वाट्सअप के माध्यम उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचना देने के पश्चात् ही वे अनुपस्थित रहें हैं।

(iv) इन्दिरा आवास का गलत फोटोग्राफ भेजने के संबंध में इनका कहना है कि ये तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं। बिना तकनीकी विशेषज्ञ के उक्त आरोप तंग करने वाला प्रतीत होता है।

(v) उनका प्रखण्ड घोर नक्सल, दुर्गम पहाड़ी एवं वन क्षेत्र पर अवस्थित होने के कारण लाभुकों का डाटा संग्रहित एवं कृषि गणना सहित अन्य कार्य द्रुत गति से संभव नहीं था। इसके साथ ही प्रखण्ड मुख्यालय में नेट कनेक्टिविटी की समस्या के कारण भी Online Entry में काफी समस्या थी।

(vi) स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौचालय का निर्माण पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चक्रधरपुर द्वारा किया जाना था। उनके द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने एवं बैठक में भाग नहीं लेने के कारण योजनाओं की समीक्षा नहीं हो पा रही थी।

श्री सारू के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा प्रतिवेदित आरोपों से इन्कार न कर इन सभी के लिए परिस्थिति जन्य कारणों एवं क्षेत्रीय कर्मियों को दोषी ठहराया गया है। जबकि प्रखण्ड अन्तर्गत संचालित सभी योजनाओं के ससमय एवं गुणवत्तपूर्ण कार्यान्वयन हेतु वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे। प्रखण्ड अन्तर्गत सभी कर्मी उनके नेतृत्व व निर्देशन में काम करते हैं। परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी को अपने अधिनस्त कर्मियों पर नियंत्रण नहीं था।

समीक्षोपरांत श्री सारू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-5617, दिनांक 09.10.2023 एवं स्मार पत्रांक-6887, दिनांक 11.12.2023 द्वारा श्री सारू से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है, परन्तु उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि श्री सारू को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि इनको द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है, फिर भी इनका उत्तर अबतक अप्राप्त है।

अतः श्री बुड़ाय सारू, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बन्दगाँव, पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बुड़ाय सारू, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BURAYN SARU JHK/JAS/308	श्री बुड़ाय सारू, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बन्दगाँव, पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
